

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जेठूराम पुत्र छीतरराम जाति गुर्जर उम्र 27 वर्ष निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी		छीतरराम पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर वगैरह निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी
प्रार्थना-पत्र - बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 74/2019		RCMS No. 2019/00178
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.11.18	<p>प्रार्थी वकील द्वारा यह प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनोंक 23.12.2019 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 29 कुल रकबा 7.31 हैक्टर में अप्रार्थी सं. 2 किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण इत्यादि नही करे अप्रार्थी सं. 7 (अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत) किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, अप्रार्थी सं. 8 व 9 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनोंक 23.12.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p>23/12/18 पत्रावली पर हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य आवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 10/12/2020 को पेश हो</p> <p>10/02/2020 वकील जमी एवं ठेकागी पक्षीय उपकरण के पक्षकार के मध्य यकीनामा लेखे का आग्रह प्रहार की अपन किया है कि आग्रह पक्षीय विज्ञापन यकीनामा किया जाने प्रकाश पक्षीय यकीनामा विज्ञापन जारी किया जायत है। पत्रावली के बाद शुभारंभ के बाद अन्तर्गत मय के कर कार्य कर रहे</p>	

जेठूराम
छीतरराम
ज
Bhikar

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नाथूराम

